INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा के बदलते आयाम : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. विघनेश्वर सिंह (अतिथि व्याख्याता)

समाजशास्त्र विभाग संत गुरुघासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद

प्रस्तावना – विवाह एक संस्था के रूप में मानव समाज के कुछ मौलिक आवश्यकताओ से संबध है ,इसलिए सार्वभौमिक रूप से यह विद्यमान है। विवाह, परिवार और नातेदारी मानव समाज की तीन मौलिक सामाजिक संस्थाएँ हैं और इन तीनों का सम्बन्ध मानव के यौन-जीवन से है। सभी प्राणी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए यौन सम्बन्ध स्थापित करते हैं। मनुष्य ने इसी इच्छा की पूर्ति के लिए विवाह रूपी संस्था को जन्म दिया है। इस तरह सहवास जहाँ एक जैविक क्रिया है वहीं विवाह एक सामाजिक एवं धर्मिक संस्कार है जिसने परिवार रूपी समिति को जन्म दिया है। इस प्रकार परिवार का आधार विवाह है और परिवार के कार्यों के विस्तार ने ही नातेदारी व्यवस्था को जन्म दिया है।

प्राचीन हिन्दू साहित्य के आधार पर पी.एन. प्रभु कहते है " हिन्दुओ में विवाह को आम तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है ,क्योकि पुत्र का जन्म मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है जो हिन्दू जीवन का परम लक्ष्य है "[1] औद्योगीकरण, विज्ञान एवं संचार क्रांति, आधुनिक शिक्षा एवं मूल्य व्यवस्था तथा कानून के प्रभाव ने विवाह रूपी संस्था के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों पक्षों में परिवर्तन को संभव बनाया है। जैसे -विवाह का यौन संबंधों को तथा मातृत्व एवं पितृत्व को वैधता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में महत्व में कमी (विवाह पूर्व यौन संबंधों की मान्यता, को-लिविंग, बिना विवाह प्रजनन को मान्यता एवं बिना विवाह परिवार निर्माण के प्रचलन में वृद्धि के कारण) आयी है। विवाह के परंपरागत लक्ष्यों में परिवर्तन ,प्रजनन के लक्ष्य में परिवर्तन हुआ है तथा अब विवाह का लक्ष्य पति-पत्नी को सहचर्थता एवं बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देना हो गया है। बड़े परिवार के लक्ष्य में परिवर्तन आया है बिना विवाह परिवार के निर्माण को मान्यता मिल जाने के कारण परिवार के आधार के रूप में विवाह के महत्व में कमी आयी है।विवाह के स्वरूप में परिवर्तन बहुविवाह से एक-विवाह की ओर परिवर्तन हुआ है। क्रमिक एक-विवाह की ओर परिवर्तन हुआ है। लेस्वियन एवं गे विवाहों के रूप में समलैगिक विवाह का उद्भव हुआ हैं। विवाह संबंधों के स्थायित्व में कमी आयी है। विवाह की आयु में परिवर्तन (कम आयु से अधिक आयु की ओर परिवर्तन) जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन- युवक-युवतियों की राय का महत्व बढ़ गया है। विवाह में परिवार के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है। विवाह में विज्ञापन एवं कम्प्यूटर का प्रयोग। निषेध संबंधी नियमों का कमजोर होना। विवाह संबंधी रीति-रिवाजों में परिवर्तन- परम्परागत रीति-रीवाजों के कुछ पक्ष कमजोर हो गये हैं।परम्परागत रीति-रिवाजों का आधुनिकीकरण हो रहा है। कोर्ट मैरिज के प्रचलन में वृद्धि हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरुप भारतीय समाज में आये परिवर्तनों से विवाह भी वंचित नही रही है, बदलते समय में विवाह में भी बदलाव आया है पिछले कुछ दशकों में, शादी को एक पवित्र संस्कार मानने की सोच कमज़ोर हुई है, जबकि इसे "व्यक्तिगत नज़रिए" से देखने का चलन बढ़ा है। आज के युवा धार्मिक ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बजाय जीवनसाथी की तलाश में शादी करते हैं, और शादी के बंधन को अब अटूट नहीं माना जाता, क्योंकि तलाक को सामाजिक और कानूनी, दोनों ही तरह से मंज़ूरी मिल चुकी है। आधुनिक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर कई मामलों में औद्योगीकरण का असर पड़ा है—शादी भी उनमें से एक है—हालाँकि इसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है।

सूचक शब्द – विवाह संस्था ,भारतीय समाज ,सामाजिक परिवर्तन ,आधुनिकीकरण ,प्रेम विवाह एवं पारंपरिक विवाह ,लैंगिक समानता ।

सारांश – भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, जिस पर समय के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक बदलावों का असर पड़ा है। पारंपरिक रूप से, विवाह को एक धार्मिक संस्कार, पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक व्यवस्था का आधार माना जाता रहा है; हालाँकि, आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती भावना जैसे कारकों ने विवाह की अवधारणा में गहरे बदलाव लाए हैं। आज के समय में, युवा जीवनसाथी चुनने, शादी से जुड़े फैसले लेने और खुद विवाह के स्वरूप को तय करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नतीजतन, प्रेम विवाह, अंतर-जातीय विवाह और अंतर-धार्मिक विवाह जैसे चलन धीरे-धीरे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं, हालाँकि समाज के विभिन्न वर्गों में इनके प्रति दृष्टिकोण अभी भी अलग-अलग हैं। यह अध्ययन भारतीय समाज में विवाह की पारंपरिक अवधारणा और इसमें आए सामाजिक बदलावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से पता चलता है कि जहाँ विवाह संस्था का अपना मूल सामाजिक महत्व

बना हुआ है, वहीं बदलती सामाजिक परिस्थितियों, संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप इसके नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के साथ-साथ विवाह के स्वरूप, उद्देश्य और सामाजिक स्वीकृति में लगातार बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह अध्ययन विवाह संस्था के भीतर हो रहे इन बदलावों को समझने और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समकालीन भारतीय समाज के बदलते सामाजिक ढांचे और पारिवारिक गतिशीलता का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

शोध साहित्य की समीक्षा –

Bussarawan Puk Teerawichitchainan, John Knodel 2012 विवाह भुगतान के रुझान और निर्धारकों का जनसंख्या स्तर पर शायद ही कभी अध्ययन किया गया है, जबकि परिवार के कल्याण और परिवारों तथा पीढ़ियों के बीच धन के वितरण पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। इस अध्ययन में, वियतनाम स्टडी ऑफ फैमिली चेंज से प्राप्त जनसंख्या-आधारित आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए 1963 से 2000 तक वियतनाम में विवाह भुगतान की व्यापकता और दिशाओं का दस्तावेजीकरण करते हैं। यह पता लगाते हैं कि संरचनात्मक और नीतिगत परिवर्तनों (विशेष रूप से बाजार सुधार और समाजवादी नीति जिसने दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाया) ने विवाह भुगतान की प्रथा को किस हद तक प्रभावित किया, साथ ही यह भी अनुमान लगाते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों ने जनसंख्या विशेषताओं पर अपने प्रभावों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान को कैसे प्रभावित किया। परिणाम बताते हैं कि बाजार सुधार के बाद विवाह भुगतान में तेजी आई, लेकिन इससे पहले के वर्षों में अधिक सूक्ष्म रुझान और क्षेत्रीय अंतर भी सामने आए। आर्थिक सुधार से पहले उत्तर में दहेज प्रथा को समाप्त करने के समाजवादी प्रयास कुछ हद तक सफल रहे, जबकि साक्ष्य बताते हैं कि दक्षिण में वे काफी हद तक असफल रहे। परिणाम बताते हैं कि संरचनात्मक और नीतिगत परिवर्तन ने विवाह भुगतान में देखे गए अधिकांश बदलावों की व्याख्या की और विवाह करने वाले व्यक्तियों की बदलती विशेषताओं का अपेक्षाकृत कम महत्व रहा। विवाह भुगतान के पुन: उद्भव को पारंपरिक मूल्यों के लचीलेपन और समाजवादी एजेंडे के विघटन के प्रमाण के रूप में देखते हैं।[2]

Gaganpreet Kaur, Sukhdev Singh 2013 अन्य सामाजिक घटनाओं की तरह, विवाह संस्था में भी व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। समाज के सभी वर्गों में एकपत्नी विवाह की प्रथा का पालन किया जाता रहा है। बच्चों की शादी के लिए उनकी सहमति लेना, वैवाहिक संबंधों की घटती स्थिरता और दूल्हे के परिवार का बढ़ता लालच, विवाह संस्था में हो रहे कुछ स्पष्ट परिवर्तन हैं। आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी का आगमन, जीवन में भौतिकवाद का बढ़ना और विधायी प्रयास, विवाह संस्था में बदलाव लाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। आधुनिक युग में समलैंगिक संबंध, सहजीवन, DINK(डबल इनकम नो किड्स) सिंड्रोम जैसी नई सामाजिक घटनाएं उभर रही हैं, जो पारंपरिक भारतीय समाज का हिस्सा नहीं थीं। इन नए रुझानों के उभरने के बावजूद, विवाह का महत्व कम नहीं हुआ है।[3]

Ravi Prakash &Abhishek Singh (2014) भारत में, प्राचीन काल से ही, विवाह अधिकतर पारिवारिक रूप से निर्धारित होते रहे हैं, जिनमें जीवनसाथी के चयन की समग्र प्रक्रिया में माता-पिता और परिवार के सदस्य प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आधुनिक शिक्षा ने वर्तमान पीढ़ी के पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक संसाधनों और मीडिया तक अधिक पहुंच प्रदान की है। विकसित देशों में देर से विवाह, जीवनसाथी के चयन में माता-पिता की घटती भूमिका, स्वेच्छा से विवाहों की बढ़ती संख्या और जीवनसाथी के चयन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पसंद को अधिक महत्व देने के ये कारक भी देखे गए हैं। हालांकि, इस बात के सीमित प्रमाण उपलब्ध हैं कि क्या पारंपरिक रूप से पारिवारिक रूप से निर्धारित विवाहों वाले समाजों में भी इस तरह के विकल्प उभर रहे हैं और जीवनसाथी के चयन की प्रक्रिया में हो रहे परिवर्तनों का वर्तमान विवाह बाजार और अन्य सामाजिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक पारंपरिक भारतीय समाज के 544 विवाहित और अविवाहित युवा पुरुषों और महिलाओं तथा उनके माता-पिता से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जीवनसाथी के चयन की प्राथमिकताओं में हो रहे परिवर्तनों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के पुरुषों और महिलाओं में भावी जीवनसाथी की आर्थिक क्षमता, भरोसेमंदता, समान स्वभाव, शारीरिक बनावट और बुद्धिमत्ता को महत्व देने के बढ़ते प्रमाण मौजूद हैं। विशिष्ट प्राथमिकताओं का यह उद्भव अन्य सामाजिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि यदि विवाह के समय पुरुषों और महिलाओं की पसंद पर विचार नहीं किया जाता है, तो तलाक की दर में वृद्धि, स्वेच्छा से किए गए विवाहों में वृद्धि और संतानोत्पत्ति में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।[4]

Singh Balwinder 2017 विवाह संस्था सबसे पुरानी सामाजिक संस्था है और यह वह आधार प्रदान करती है जिस पर सभ्यता और समृद्धि की संपूर्ण संरचना टिकी है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों ने विवाह की अवधारणा को अलग-अलग अर्थ दिए हैं, जो धार्मिक संस्कार से लेकर संविदात्मक बंधन तक हैं। भारत में विवाह की स्थिति की बात करें तो, विश्व आज भी भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जहाँ विवाह दार्शनिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से एक धार्मिक संस्कार का स्थान रखता है। आधुनिक व्यवस्था में बदलाव के साथ विवाह की पारंपरिक अवधारणा भी बदल गई है और आजकल हमारे

समाज में अरेंज्ड मैरिज से लव मैरिज, लिव-इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाहों की ओर बदलाव दिखाई देता है। इन सभी विकासों के बावजूद और लिव-इन रिलेशनशिप या समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी, हमारे समाज में इसे अभी भी अनैतिक संबंध माना जाता है। भारत में लिव-इन रिलेशनशिप और समलैंगिक संबंधों से निपटने के लिए विशेष कानूनों के अभाव में, इन संबंधों में शामिल लोगों को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंततः, ऐसे मामलों से निपटने के लिए न्यायपालिका को ही अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है। यहां भारत में लिव-इन कपल्स और समलैंगिक संबंधों को विभिन्न अधिकार प्रदान करने के संबंध में न्यायालयों के दृष्टिकोण में हाल के घटनाक्रमों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।[5]

Sudha G Hiremath 2023 यह लेख इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय समाजशास्त्री भारत में विवाह और परिवार को हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता के साथ-साथ आधुनिक समय के सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों द्वारा आकारित मानते हैं। वे भारतीय परिवारों के भीतर पारिवारिक संरचनाओं, लैंगिक भूमिकाओं, रिश्तेदारी संबंधों और कर्तव्य एवं त्याग की अवधारणाओं में स्थिरता और परिवर्तन दोनों को उजागर करते हैं। कुल मिलाकर, उनके अध्ययन जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में भारतीय परिवार प्रणाली को समझने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।[6]

अध्ययन का उद्देश्य –

01.भारतीय समाज में विवाह की पारंपरिक अवधारणा तथा विवाह संस्था में आए सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण।

02.प्रेम विवाह, अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह की प्रवृत्तियों का विश्लेषण।

शोध पद्धति – इस अध्ययन में वर्णात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है। उत्तरदाताओ का चयन रायपुर शहर के डगनिया और कोटा क्षेत्र में निवासरत 75 उत्तरदाताओ का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया है। तथ्यों का संकलन साक्षात्कारअनुसूची के माध्यम से किया गया है। तथ्य संकलन के समय उत्तरदाताओ के मनोभावों,प्रवृतियों आदि को ध्यान में रखते हुए अवलोकन किया गया है। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोत के रूप में पुस्तको ,शोध पत्रिकाओ और शोध पत्रों का उपयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण –

तालिका क्रमांक 01

उत्तरदाताओ की लैंगिक स्थिति

क्रमांक	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पुरुष	40	53.3
02	महिला	35	46.7
	कुल	75	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अध्ययन में कुल 75 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है। इनमें 40 (53.3%) पुरुष तथा 35 (46.7%) महिला उत्तरदाता शामिल हैं। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है की पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी अधिक है, किंतु दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग संतुलित है। इससे अध्ययन में पुरुष एवं महिला दोनों के विवाह संबंधी विचारों, अनुभवों तथा बदलते सामाजिक दृष्टिकोणों को समुचित रूप से समझने का अवसर प्राप्त होता है। विषय के संदर्भ में यह लैंगिक संतुलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह संस्था से जुड़े निर्णय, पारिवारिक अपेक्षाएँ, लैंगिक भूमिकाएँ, वैवाहिक स्वतंत्रता तथा आधुनिक सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पर अलग-अलग रूप में दिखाई देता है। इसलिए दोनों वर्गों की भागीदारी अध्ययन को अधिक विश्वसनीय, संतुलित तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यापक बनाती है।

तालिका क्रमांक 02

उत्तरदाताओ का धर्मानुसार विवरण

क्रमांक	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
01	हिन्दू	55	73.3
02	मुस्लिम	12	16
03	ईसाई	08	10
	कुलयोग	75	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में कुल 75 उत्तरदाताओं में से 55 (73.3%) हिन्दू, 12 (16.0%) मुस्लिम तथा 8 (10.7%) ईसाई धर्म के उत्तरदाता शामिल थे। इससे अध्ययन में विभिन्न धार्मिक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हुई, जिससे विवाह की अवधारणा में धार्मिक विविधता के प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक 03

उत्तरदाताओ का वैवाहिक प्रकार

क्रमांक	विवाह का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पारंपरिक (Arranged Marrige)	43	57.3
02	प्रेम विवाह	18	24
03	अंतरजातीय विवाह	10	13.3
04	अंतर्धार्मिक विवाह	04	5.4
04	कुलयोग	75	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल 75 उत्तरदाताओं में से 43 (57.3%) उत्तरदाताओं का विवाह पारंपरिक (Arranged Marriage) है, जो सर्वाधिक है। 18 (24.0%) उत्तरदाताओं ने प्रेम विवाह, 10 (13.3%) ने अंतरजातीय विवाह तथा 4 (5.4%) ने अंतर्धार्मिक विवाह किया है।

इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में पारंपरिक विवाह आज भी प्रमुख स्थान रखता है, किंतु प्रेम विवाह, अंतरजातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाह की बढ़ती उपस्थिति विवाह संस्था में सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिक दृष्टिकोण के विकास को दर्शाती है।

तालिका क्रमांक 04

विवाह के निर्णय का आधार

क्रमांक	निर्णय का आधार	आवृत्ति	प्रतिशत
01	परिवार द्वारा	38	50.7
02	स्वयं द्वारा	22	29.3
03	परिवार एवम स्वयं दोनों	15	20
	कुलयोग	**75**	**100**

उत्तरदाताओ की राय से स्पष्ट है कि कुल 75 उत्तरदाताओं में से 38 (50.7%) उत्तरदाताओं के विवाह का निर्णय परिवार द्वारा लिया गया। 22 (29.3%) उत्तरदाताओं ने स्वयं विवाह का निर्णय लिया, जबकि 15 (20.0%) उत्तरदाताओं के विवाह का निर्णय परिवार एवं स्वयं दोनों की सहमति से हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में विवाह संबंधी निर्णयों में आज भी परिवार की भूमिका प्रमुख है, हालांकि व्यक्तिगत निर्णय एवं परिवार-स्वयं की संयुक्त सहमति की प्रवृत्ति भी धीरे-धीरे बढ़ रही है, जो विवाह संस्था में सामाजिक परिवर्तन का संकेत देती है।

तालिका क्रमांक 05

विवाह में परिवर्तन के प्रमुख कारण

क्रमांक	परिवर्तन का कारण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	शिक्षा	22	29.3
02	महिलाओ की आर्थिक स्वतंत्रता	16	21.3
03	नगरीकरण	14	18.7
04	सोशल मीडिया एवम् इन्टरनेट	13	17.3
05	वैश्वीकरण	10	13.4
	कुलयोग	**75**	**100**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल 75 उत्तरदाताओं में से 22 (29.3%) उत्तरदाताओं ने विवाह में परिवर्तन का प्रमुख कारण शिक्षा को माना है। 16 (21.3%) उत्तरदाताओं ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, 14 (18.7%) ने नगरीकरण, 13 (17.3%) ने सोशल मीडिया एवं इंटरनेट तथा 10 (13.4%) उत्तरदाताओं ने वैश्वीकरण को प्रमुख कारण बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा में परिवर्तन के पीछे शिक्षा सबसे प्रभावशाली कारक है। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, नगरीकरण, सोशल मीडिया एवं वैश्वीकरण भी विवाह संबंधी दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

तालिका क्रमांक 06

विवाह की बदलती अवधारणा पर उत्तरदाताओ की राय

क्रमांक	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पुर्णतः सहमत	30	40
02	सहमत	25	33.3
03	असहमत	14	18.7
04	पुर्णतः असहमत	06	08
	कुलयोग	**75**	**100**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल 75 उत्तरदाताओं में से 30 (40.0%) उत्तरदाता विवाह की बदलती अवधारणा से पूर्णतः सहमत हैं, जबकि 25 (33.3%) उत्तरदाता सहमत हैं। इसके विपरीत 14 (18.7%) उत्तरदाता असहमत तथा 6 (8.0%) उत्तरदाता पूर्णतः असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता विवाह की बदलती अवधारणा को स्वीकार करते हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि भारतीय समाज में विवाह के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण और सामाजिक परिवर्तन को लोगों द्वारा सकारात्मक रूप से अपनाया जा रहा है।

तालिका क्रमांक 07

विवाह की उपयुक्त आयु के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ की राय

क्रमांक	उपयुक्त आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
01	18-22 वर्ष	08	10.7
02	23-27 वर्ष	35	46.7
03	28-32 वर्ष	22	29.3
04	33 वर्ष एवम अधिक	10	13.3
	कुलयोग	**75**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (46.7%) का मानना है कि विवाह के लिए 23–27 वर्ष की आयु सबसे उपयुक्त है। इसके बाद 29.3% उत्तरदाताओं ने 28–32 वर्ष को उपयुक्त माना। इससे संकेत मिलता है कि शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिरता के कारण विवाह की आयु पहले की तुलना में बढ़ रही है, जो भारतीय समाज में विवाह की बदलती अवधारणा को दर्शाती है।

निष्कर्ष - एक सामाजिक संस्था के रूप में आज विवाह के आकार, स्वरूप और उदेश्यों में तीव्र गति से परिवर्तन आया है। विवाह के पूर्वऔर विवाह के अतिरिक्त सहवास, सहबासहीन विवाह, विवाह रहित संतोनोत्पत्ति और लालन-पालन, तलाक की उच्च दर जैसी समकालीन प्रवृत्तियों को देखते हुए विवाह के बारे में अमेरिका और ब्रिटेन में समाजशास्त्रीय शोधों ने इस भय की पुष्ट किया है कि एक संस्था के रूप में विवाह में क्षीणता आ रही है। इस तरह के भय के लिए मुख्यतः दो कारण प्रमुख हैं- इन देशों में वैवाहिक विच्छेद या तलाक की दर में हो रही वृद्धि तथा विवाह संस्था को पहले जैसा महत्व न दिया जाना। हाल के वर्षों में मुख्यतः पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत में तलाक एवं पृथक्करण की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। इन हालातो को देखते हुए आज विवाह का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा है और कुछ विद्वानो द्वारा आज विवाह के भविष्य के बारे मे निराशावादी विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं परंतु इस तथ्यों के बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगी कि आने वाले समय में विवाह रूपी संस्था समाप्त हो जाएगी।

आज भी पश्चिमी देशों की अधिकांश जनसंख्या विवाह को जीवन जीने का सही तरीका मानती हैं आज के समाजों (मुख्यतः पश्चिमी समाजों में) नवीन सूक्ष्मों का विकास और खुलेपन में आई वृद्धि के कारण यौन संतुष्टि प्रदान करने वाली संस्था के रूप में विवाह का महत्व भले ही कम हुआ है परन्तु प्रजनन और पालन-पोषण के संदर्भ में आज भी विवाह को एक सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की बढ़ोत्तरी को बावजूद संतान को और संतान द्वारा माता-पिता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में विवाह का महत्व/प्रकार्य आज भी बना हुआ है, जो नव उदारवाद के वर्तमान दौर में और भी बढ़ गया है। विवाह में हुए उपरोक्त परिवर्तन एवं इसके समकालीन प्रकार्या पर विचार के उपरांत यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में होने वाले आधुनिक परिवर्तनों ने निश्चित तौर पर विवाह के कई पक्षों को प्रभावित कर उनमें परिवर्तन को संभव बनाया है और उनके कई प्रकार्यों को अन्य वैकल्पिक संस्थाओं द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, परन्तु इन परिवर्तनों के बाद भी विवाह रूप यी संस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और भविष्य में भी परिवर्तित परिस्थतियों के साथ अनुकूलन करते हुए बदले हुए में विद्यमान रहेगी।

सन्दर्भ

01. Prabhu P.N " hindu social organition " popular prakashan bombay1961 p 148- 149

02. Bussarawan Puk Teerawichitchainan, John Knodel 2012 Tradition and Change in Marriage Payments in Vietnam, 1963-2000 July 2012AsianPopulation Studies 8(2):151-172

03. Gaganpreet Kaur, Sukhdev Singh 2013 Changing patterns of marriage in Indian society January 2013Indian Journal of Economics and Development 9(3):261 DOI:10.5958/j.2322-0430.9.3.010

04. Ravi Prakash &Abhishek Singh (2014) Who Marries Whom? Changing Mate Selection Preferences in Urban India and Emerging Implications on Social Institutions Published: 11 July 2013 Volume 33, pages 205–227, (2014)

05. Singh Balwinder 2017 CHANGING DIMENSIONS OF THE CONCEPT OF MARRIAGE - A CONTEMPORARY CHALLENGE TO PERSONAL LAWS IN INDIA.July 2017International Journal of Advanced Research 5(7):2039-2045

06. Sudha G Hiremath 2023 Changing Dynamic of Marriage and Family Urban in India: A Sociological Perspective in Dharwad District November-December 2023 International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR) IJFMR230610395 Volume 5, Issue 6, November-December 2023

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

RSEARCH GATEWAY

AROGYAM ONLINE

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM